अतिआवश्यक/महत्व

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

1- बी0एन0लहरी मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या-डीजी-परिपत्र- 73/2013 दिनाँक:लखनऊ:दिसम्बर 30, 2013

सेवा में,

1-समस्त पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
2-समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
3-समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
4-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश ।

विषय: भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363,366 जैसे महत्वपूर्ण अभियोगों में विवेचना अधिकारियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करते हुए विवेचना में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया उपर्युक्त विषयक डीजी परिपत्र-70/2013 दिनांक 13.12.2013 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें । इसके सम्बन्ध में विभिन्न जनपदों से मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के कियान्वयन के सम्बन्ध में पृच्छा की जा रही है तथा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किमिनल मिस रिट याचिका संख्या-20552/2013 में पारित आदेश दिनांक 22.10.2013 के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश केवल उपरोक्त रिट याचिका के सम्बन्ध में ही पारित किया गया है जिसका कियान्वयन पुलिस अधीक्षक, जनपद संत कबीरनगर के माध्यम से कराया जाना है।आदेश के अनुसार पति के द्वारा रू0 50,000/- का फिक्स्ड डिपाजिट राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में कम से कम 03 वर्ष की अवधि के लिये एक माह के अन्दर केवल उसकी पत्नी के नाम जमा कर दिया जाये।

माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के कम में जो परिपत्र संख्या-70/2013 दिनांक 13.12.2013 को निर्गत किया गया है, उसके बिन्दु संख्या (2) के अनुप्रस्तर-3 अन्य जनपदों हेतु नहीं है। अतः डीजी परिपत्र-70/2013 दिनांक 13.12.2013 को इस संशोधित परिपत्र के साथ पढ़ा जाये।

(देवराज नागर)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।